RRS/Hort/Buria/25/278-368
23-6-2025

क्षेत्रीय अनुसंधान (बागवानी) केंद्र, बुरिया (यमुनानगर), उद्यान विभाग
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)

सीलबंद निविदा बोली हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग के अधीन क्षेत्रीय अनुसन्धान (बागवानी) केंद्र, बुरिया (यमुनानगर) में फलदार पौधों को तैयार करने के लिए नर्सरी की तीन वर्षों के लिए प्राप्त सीलबंद लिफाफे में निविदा बोली समिति द्वारा जांच हेतु दिनांक **10.7.2025 को प्रातः 11:00 बजे** खोली जाएगी।

नर्सरी पौधों को उगाने के लिए नियम व शर्तें

1. ठेकेदार को सीलबंद लिफाफे में निविदा बोली में भाग लेने के लिए मैसर्स सी.सी.एस.एच.ए.यू, हिसार के पक्ष में 10,000/- रुपए (डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से) सुरक्षा राशि जमा करानी होगी। यह सुरक्षा राशि अनुबंध के संतोषजनक समापन के बाद वापस कर दी जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सीलबंद निविदा बोली जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद भाग लेने वाले शेष बोलीदाताओं के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जाएंगे।

2. ठेकेदार यह भी प्रमाणित करेगा कि उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य इस ठेके के लिए सीलबंद लिफाफे में निविदा बोली में भाग नहीं लेगा।

3. ठेकेदार को सीलबंद लिफाफे में निविदा बोली के दस दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में 100/- रुपए मूल्य के बांड पेपर पर लिखित अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। ऐसा न करने पर अनुबंध अमान्य हो जाएगा और धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

4. ठेकेदार को विभिन्न श्रम कानूनों जैसे श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ई.एस.आई. व भविष्य निधि अधिनियम व इस मामले में लागू अन्य निर्धारित कानूनों के तहत सभी आवश्यक कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करना होगा।

5. ठेकेदार फलों के पेड़ों की नर्सरी बनाए रखेगा और उसे फलों की विभिन्न प्रजातियों के लिए विभाग द्वारा प्रदान की गई सूची के अनुसार पहले वर्ष में 10,000 पौधे, दूसरे वर्ष में 15,000 पौधे और तीसरे वर्ष में 20,000 पौधे तैयार करने होंगे। पहले वर्ष के दौरान, उसे आम के 3000, लीची के 5000, नाशपाती के 500, आड़ू के 500, अलूचा के 500 और अन्य फल जैसे नींबू, अमरूद, लोकाट, आदि के 500 पौधे तैयार करेगा, इस तरह क्रमशः दूसरे और तीसरे वर्ष के दौरान पौधों की संख्या में आनुपातिक वृद्धि के साथ ठेकदार द्वारा फलों के पौधे तैयार किए जायेंगे । विभिन्न फल फसलों के लिए पौधों की संख्या में मामूली अंतर हो सकता है, लेकिन कुल न्यूंनतम आवश्यकतापूर्ती के लिए ऊपर वर्णित पौधे प्रति वर्ष की संख्या के अनुसार तैयार करने होंगे।

6. सभी आवश्यक सामग्री और श्रमजीवी, ठेकेदार द्वारा प्रदान किए जाएंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा श्रमजीवियों हेतु किसी तरह की परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी।

7. ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि नर्सरी में तैयार पौधे स्वस्थ तथा रोग व कीट मुक्त हों। निर्धारित समिति द्वारा इसकी गुणवत्ता संतुष्टि विवरण के बाद ही अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री बेची जाएगी।

8. ठेकेदार को पौधों की किसी भी बिक्री के लिए अधिकृत नहीं किया जाएगा और तैयार पौधों को विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा अनुमोदित दरों पर बेचा जाएगा।

9. नर्सरी में पौधों को तैयार करने का कार्य राजस्व साझाकरण नीति के तहत किया जाएगा। जो बोलीदाता विश्वविद्यालय को अधिकतम हिस्सा (न्यूनतम 40%) देगा, उसे समिति द्वारा अनुबंध देने पर विचार किया जाएगा। नर्सरी में पौधों की बिक्री से प्राप्त पूरी राशि पहले विश्वविद्यालय के खाते में जमा की जाएगी। इसके बाद, ठेकेदार अपने हिस्से का दावा करने के लिए बिल प्रस्तुत करेगा।

10. यदि ठेकेदार क्रम संख्या 5 में उल्लिखित न्यूनतम संख्या में आवश्यक पौधे तैयार नहीं करता है, तो विभिन्न वर्षों के लिए ऊपर बताए गए अनुसार पौधों की अपर्याप्त संख्या के लिए नुकसान की गंभीरता के आधार पर 20 रुपये प्रति पौधे की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। यदि लगा कि जुर्माने को कम करना है, जो उचित हुआ तो कुलपति द्वारा जुर्माना कम किया जा सकता है।

11. श्रमिक/ठेकेदार द्वारा पेड़ों और विश्वविद्यालय की संपत्ति को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाने पर भी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

12. विश्वविद्यालय पर्यवेक्षण का अधिकार सुरक्षित रखता है। नर्सरी के कुप्रबंधन की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन बिना कोई कारण बताए अनुबंध रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और ठेकेदार को काली सूची में भी डाल दिया जाएगा। विश्वविद्यालय को किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई करने के लिए भी वह उत्तरदायी होगा।

13. वर्तमान में लागू कानूनों के अनुसार श्रमिक को चोट, जीवन या अंग की हानि के कारण मुआवजा देना ठेकेदार की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। विश्वविद्यालय किसी भी तरह से ऐसे नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

14. ठेकेदार को विभिन्न फलों की फसलों के लिए अनुशंसित मूलवृन्त को तैयार करना होगा और यदि इसे असाधारण परिस्थितियों में बाहरी स्रोत से खरीदा जाता है, तो वह नर्सरी प्रभारी को यह सुनिश्चित करेगा कि रोपण सामग्री अच्छी गुणवत्ता वाली, रोगमुक्त व कीटमुक्त है।

15. मिट्टी जनित रोगों से बचने के लिए नर्सरी को उचित माध्यम में उगाया जाना चाहिए।

16. नर्सरी में फसल चक्र का अनुकरण करना होगा और वर्ष दर वर्ष एक ही क्यारी के उपयोग से बचना होगा।

17. कलिकायन जमीन की सतह से 9 इंच की ऊंचाई से कम न करें।

18. कलिकायन व कलम बाँधने के लिए चाकू व करतनी/कैंची को नियमित साफ़ पानी से धोएं एवं निस्संक्रामक से निर्जभीकृत करें।

19. जब कलमी पौधों के ऊंचाई न्यूनतम 30 सेमी हो गई हो, तब उसे समय बिक्री योग्य माना जाएगा।

20. विभाग कस्सी, कसोला, दराती, आदि कोई भी कृषि उपकरण उपलब्ध नहीं करवाएगा। उसे नर्सरी प्रभारी की संतुष्टि के अनुसार समय-समय पर क्रियास्थल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करना होगा।

21. इच्छुक ठेकेदार स्थल पर जाकर इस अनुबंध के लिए सीलबंद लिफाफा निविदा बोली प्रस्तुत करने के समय अपनी दरें उद्धृत करने से पहले प्रधान वैज्ञानिक, प्रभारी, क्षेत्रीय अनुसन्धान (बागवानी) केंद्र, बुरिया (यमुनानगर) (**9812490456, 7082834554**) से संपर्क कर सकते हैं।

22. विश्वविद्यालय अधिनियम और संविधि तथा लेखा संहिता में उधृत अन्य प्रावधानों लागू होंगे।

23. पक्षों के बीच किसी भी विवाद के मामले में, इसे माननीय कुलपति, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा। भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान भी इन कार्यवाईयों पर लागू होंगे।

24. कोई भी कानूनी विवाद यमुनानगर जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा।

25. ठेकेदार के संतोषजनक कार्य निष्पादन एवं पक्षों की आपसी सहमति के अधीन अनुबंध की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।

26. विश्वविद्यालय द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर अनुबंध को कभी भी रद्द किया जा सकता है।

23/6/25

प्रधान वैज्ञानिक प्रभारी

क्षेत्रीय अनुसन्धान केंद्र (बागवानी), बुरिया (यमुनानगर)

प्रति :-

1. कम्प्यूटर संभाग प्रभारी, मौलिक एवं मानविकी विज्ञान महाविद्यालय,
निविदा सूचना को वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ ।
2. पौधशाला प्रभारी, छछरौली ।
3. सभी सरकारी नोटिस बोर्ड, बुड़िया ।
4. जिला बागवानी अधिकारी, यमुनानगर।
5. अनुसंधान निदेशालय, कार्यालय, सूचनार्थ।
6. वित्त नियन्त्रक कार्यालय, सूचनार्थ।
7. **निविदा खोलने वाली समिति**

    (1) अनुसंधान निदेशक/प्रतिनिधि (श्रेणी - 1 से नीचे न हो)

    (2) वित्त नियन्त्रक/प्रतिनिधि (श्रेणी - 1 से नीचे न हो)

    (3) प्राध्यापक एवं अध्यक्ष/प्रतिनिधि (श्रेणी - 1 से नीचे न हो)

    (4) कृषि आर्थिकी विभाग/प्रतिनिधि (श्रेणी - 2 से नीचे न हो)

    (5) प्रधान वैज्ञानिक प्रभारी, क्षेत्रीय अनुसंधान (बागवानी) केंद्र, बुड़िया

    (6) वरीष्ठ संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, दामला, यमुनानगर।
8. सूचनापट, क्षेत्रीय अनुसंधान (बागवानी) केन्द्र, बुड़िया, यमुनानगर।

निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि : 26.6.2025, प्रातः 7.00 बजे से सायं 2.00 बजे तक

निविदा फार्म भरने की अंतिम तिथि : 9.7.2025, प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक

निविदा फॉर्म शुल्क: 100/- + 18% जीएसटी = 118/-

बैंक विवरण : पंजाब नेशनल बैंक, बुरिया, नाम : मैसर्स सी.सी.एस.एच.ए.यू, हिसार

आई. एफ. एस. सी. कोड : PUNB0056100, खाता संख्या : 0561002100001161

निविदा प्रपत्र की फीस के भुगतान का विवरण ईमेल पर भेजें: rrshortburia@gmail.com

निविदाएं खोलने की तिथि: 10.7.2025; प्रातः 11.00 बजे।

किसी भी अन्य विवरण के लिए संपर्क करें: 9812490456, 7082834554

निविदा में भाग लेने के लिए डिमांड ड्राफ्ट निर्धारित समयावधि में बनवाना अनिवार्य है

ठेकेदार को सीलबंद लिफाफे में निविदा बोली में भाग लेने के लिए **मैसर्स सी.सी.एस.एच.ए.यू, हिसार** के पक्ष में 1,0000/- रुपए (डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से) जमा करवाने होंगे।

https://maps.app.goo.gl/gWnU87Cs4ytAia9p7

Location of RRS (Hort), Buria

क्षेत्रीय अनुसंधान (बागवानी) केन्द्र, बुड़िया, यमुनानगर

फलदार पौधों को तैयार करने हेतु पौधशाला निविदा प्रपत्र

A. ठेकेदार का ब्यौरा			
1.	निविदा भरने वाले ठेकेदार का नाम	:	
2.	फर्म यदि कोई है, का नाम	:	
3.	**ठेकेदार का पता**		
	(अ) कार्यालय / मकान नं.	:	
	(ब) कालोनी / वार्ड नं.	:	
	(स) गाँव का नाम	:	
	(द) ब्लॉक	:	
	(इ) तहसील	:	
	(फ) ज़िला	:	
	(ज) पिन	:	
4.	**संपर्क विवरण**		
	(अ) मोबाइल नं.		
	(ब) इमेल पता		

B. ठेकेदार द्वारा दी गई निविदा बोली का विवरण			
1.	न्यून्तम फलदार पौधों को तैयार करने की सीमा		
	प्रथम वर्ष : 10,000 द्वितीय वर्ष : 15,000 तृतीय वर्ष : 20,000		प्रथम वर्ष : .... द्वितीय वर्ष : .... तृतीय वर्ष : ....
2.	विश्वविद्यालय का राजस्व अधिकतम हिस्सा (न्यूनतम 40 प्रतिशत)	:	ठेकेदार प्रस्तुत विश्वविद्यालय राजस्व का हिस्सा : ....

<u>अंडरटैकिंग</u>

1– मैं तसदीक करता हूँ कि मैंने ठेके की सभी नियम शर्तों को पढ़ लिया है और और मुझे सभी नियम व शर्ते (क्रम सं. 1–26) मंजूर है।

2– मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्य ने इस ठेके के लिए निविदा नहीं भरी है।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

कमेटी सदस्य

(1) नाम ....
अनुसंधान निदेशक / प्रतिनिधि
(श्रेणी – 1 से नीचे न हो)

(2) नाम ....
वित्त नियन्त्रक / प्रतिनिधि
(श्रेणी – 1 से नीचे न हो)

(3) नाम ....
उधान विभाग प्रमुख / प्रतिनिधि
(श्रेणी – 1 से नीचे न हो)

(4) नाम ....
कृषि आर्थिकी विभाग / प्रतिनिधि
(श्रेणी – 2 से नीचे न हो)

(5) नाम ....
प्रधान वैज्ञानिक प्रभारी
क्षेत्रीय अनुसंधान (बागवानी), बुड़िया

(6) नाम ....
वरीष्ठ संयोजक
कृषि विज्ञान केन्द्र, दामला (यमुनानगर)